मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
''पर्यटन भवन'', भदभदा रोड, भोपाल।
फोनः 0755—2774341—43

क्रमांक 6876/यॉत्रिकी/पविनि/12 भोपाल, दिनांक 03/11/2012

कोटेशन – नोटिस
(द्वितीय आमंत्रण)

म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित प्रेमपुरा भोपाल स्थित सैर सपाटा में टॉय ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उक्त टॉय ट्रेन के वार्षिक रख रखाव हेतु इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित, अनुभवी, दक्षताप्राप्त पार्टियों से उनके दर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय निगम मुख्यालय पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल में दिनांक 20/11/2012 तक (अपरांह 3.00 बजे) आमंत्रित है, इसके बाद प्राप्त कुटेशन दरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा डाक में देरी की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। प्राप्त कुटेशन उसी दिन अपरांह 4.00 बजे पार्टियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे।

टॉय ट्रेन के वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत कार्य से संबंधित कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते निगम की वेबसाईड www.mptourism.com से अपलोड किये जा सकते है अथवा अद्योहस्तारकर्त्ता के कार्यालय से दिनांक 19/11/2012 शाम 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन यंत्री

कोटेशन प्रपत्र

1.	कार्य का नाम	सैर सपाटा भोपाल में चलित टॉय ट्रेन का वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत का कार्य
2.	कोटेशन दर प्रस्तुत करने वाले का नाम एवं पूर्ण पता, दूरभाष, मोबाईल नम्बर सहित	
3.	कोटेशन देने वाले के कार्यो का अनुभव प्रमाण–पत्र/फर्म/दुकान का विवरण (प्रमाण हेतु छायाप्रतियाँ संलग्न करें)	1. 2. 3. 4. 5.
4.	वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत की वार्षिक दर	1. राशि अंकों में :– .... 2. राशि शब्दों में :– ....

कोटेशन दर देने वाले के हस्ताक्षर एवं दिनांक
(अधिकृत व्यक्ति)

नियम एवं शर्ते :–

1. वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत कार्यो में एम्यूजमेंट ट्रेन के सुचारु संचालन हेतु समस्त संबंधित सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के सम्पूर्ण कार्य सम्मिलित रहेंगे।

2. टॉय ट्रेन के एक इंजन 5 बोगी, इलेक्ट्रिकल लाइन एवं ट्रेन के पूरे ट्रैक तथा ट्रेन हेतु रखे गये डीजल जनरेटर, ट्रेन ट्रांसफार्मर के समस्त रिपेयरिंग कार्य कुटेशन दरों में सम्मिलित रहेंगे।

3. ट्रेन के ट्रैक की आवश्यकतानुसार डीजल/अन्य केमीकल से साफ–सफाई एवं जंग निकालने का कार्य (लेवर एवं मटेरियल) दरों में सम्मिलित रहेगा।

4. रेल के इंजन एवं बोगी में लगी हुई मोटर की रिपेयरिंग मय स्पेयर पार्ट के बेल्ट, चेन, व्हील के एलान्इन्जमेंट के कार्य नट बोल्ट, बियरिंग जनरेटर की रिपेयरिंग ट्रेन से संबंधित बाह्य विद्युतीकरण जिसमें ट्रेन के लिये लगाये गये ट्रांसफॉर्मर, एम.सी.बी. फ्यूज, केबल वायरिंग एवं आंतरिक विद्युतीकरण इत्यादि सम्मिलित हैं, की रिपेयरिंग मय मटेरियल दरों में सम्मिलित रहेंगे। आवश्यकतानुसार खराब होने पर बदलना होगा।

5. रेलवे ट्रेक के एलाइन्जमेंट, करेंट फ्लो के लिये वेल्डिंग आवश्यकतानुसार ट्रेक के नीचे की कांक्रीटिंग की रिपेयरिंग ट्रेन के डिब्बों में स्थापित म्यूजिक सिस्टम की रिपेयरिंग मटेरियल सहित दरों में सम्मिलित रहेंगे।

6. फर्म एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराना होगा कि किसी खराबी की वजह से ट्रेन का सुचारु संचालन अवरुद्ध न हो एवं इस हेतु रिपेयरिंग से संबंधित टूल्स लगने वाली सामग्री (नट बोल्ट इत्यादि) एवं वेल्डिंग मशीन साइट पर रखना होगा ताकि सामान्य रिपेयरिंग की स्थिति में कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।

7. विद्युत, सिविल एवं मैकेनिकल कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानक का परिपालन संबंधित पार्टी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य करना होगा एवं इसकी समस्त जवाबदारी वार्षिक रख रखाव मरम्मत करने वाली पार्टी की होगी।

8. ट्रेन के ट्रेक से उतरने की स्थिति में किस कारण से डिरेलमेंट हुआ है, उसे दूर करते हुये पुनः सुचारु संचालन प्रारंभ करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें दरों में सम्मिलित रहेगी।

9. वार्षिक संधारण के कार्य के विरुद्ध किये जाने वाले पूर्ण भुगतान को प्रतिमाह की दर से 12 भागों में विभाजित किया जायेगा जो कुल प्राप्त स्वीकृत राशि का 80% के अंतर्गत पूर्ण होगा। एवं शेष 20% राशि सुरक्षा निधि के रुप में रोकी जावेगी जिसे अंतिम भुगतान के रुप में 12वें रनिंग देयक के साथ दिया जायेगा। कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रबंधक एवं सहायक यंत्री द्वारा पृथक–पृथक प्रत्येक रनिंग देयक एवं अंतिम देयक पर दिये जाने के उपरांत ही यूनिट से भुगतान किया जावेगा। अंतिम देयक एवं सुरक्षा निधि के भुगतान से पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक का प्रमाणीकरण भी आवश्यक होगा।

10. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। 01 माह का समय पूर्ण होने के उपरांत ही राशि का अनुपातिक भाग पैरा क्रमांक 10 में वर्णित शर्तों के अनुरुप अगले माह की 10 तारीख तक किया जावेगा।

11. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को सम्मिलित कर एक वर्ष के लिये पूर्ण दर प्रस्तुत किये जावे जिसमें समस्त टैक्स सम्मिलित हैं, यह माना जावेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान से समस्त टैक्सों की कटौती की जावेगी, इसके अलावा ठेकेदार को अपने स्तर से जमा किये जाने वाले टैक्स शासकीय नियमानुसार वहन करने होंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।

12. फर्म को विद्युत, यांत्रिकी एवं समस्त तकनीकी एवं रिपेयरिंग कार्य का अनुभव (प्रतिष्ठित फर्म) का होना आवश्यक है।

13. फर्म (कोटेशन देने वाले) का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में पंजीयन होना अनिवार्य है।

14. सर्विस टेक्स का पंजीयन होने पर नियमानुसार सर्विस टेक्स का भुगतान किया जावेगा अन्यथा सर्विस टेक्स की पूर्ण राशि निगम द्वारा काटी जावेगी जो वापिस नहीं होगी।

15. फर्म/पार्टी का पेन नम्बर एवं वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है।

घोषणा :– मेरे द्वारा नियम एवं शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लेने के पश्चात् ही वार्षिक रख रखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु दरें अंकित की गईं हैं।

दिनांक : .... **अधिकृत हस्ताक्षर**

स्थान : .... **फर्म का नाम एवं पता–**